

# पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फैक्स नं.-0755-2552899 ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2020-21/4284  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 11/04/2020

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत-समस्त, म0प्र0।

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जिला पंचायतों को योजना क्रमांक-5847(196) में प्रथम त्रैमास हेतु बजट आबंटन जारी करने बाबत।

**संदर्भ:-** संचालनालय का पत्र क्रमांक/पं.रा./स्था./2020-21/4275-76, दिनांक 11.04.2020

-0-

उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में विषयान्तर्गत प्रयोजन हेतु पंचायतराज संचालनालय के अंतर्गत जिला पंचायत के आहरण संवितरण अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संदर्भित पत्र के परिशिष्ट के कॉलम-4 अनुसार सेगमेंट-0101 में राशि 63.00 लाख, के कॉलम-5 अनुसार सेगमेंट-0102 में राशि 21.00 लाख एवं के कॉलम-6 अनुसार सेगमेंट-0103 में राशि 16.00 लाख इस प्रकार कॉलम-7 अनुसार कुल राशि 100.00 लाख(राशि रुपये-एक करोड़ मात्र) का आबंटन आपके अधिकार क्षेत्र में सौंपा जाता है।

उक्त व्ययमांग संख्या-53-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता-शीर्ष-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-{196-जिला पंचायतों को सहायता}-5847-जिला पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान-#42-सहायक अनुदान-009-पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु अनुदान के सेगमेंट-0101, 0102 एवं 0103 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा सौंपे गए आबंटन एवं तदसंबंधी दिए निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योजनाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किया जावे :-


- (1) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावे। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आबंटन से अधिक न किया जावे।
- (2) व्यय के आकड़ों का मिलान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर कार्यालय के आकड़ों से करने की जवाबदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी। व्यय के आकड़ों का मिलान भी महालेखाकार द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जावे।

निरंतर...

// 02 //

- (3) व्यय की जानकारी संचालनालय को निर्धारित प्रारूप में अनिवार्यतः प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाने की पाबंदी रखी जाय।
- (4) संचालनालय द्वारा आपको सहायक अनुदान के अन्तर्गत जारी की गयी राशि के समस्त योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः भेजा जाना सुनिश्चित करें।
- (5) संचालनालय द्वारा आपको उपलब्ध कराये जा रहे उपरोक्तानुसार बजट का उपयोग नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। आवश्यकता से अधिक बजट उपलब्ध होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक व्यय का अनुमान का आकलन कर शेष राशि संचालनालय के बी0सी0ओ0कोड़-2203 में समर्पित कर समर्पण आई0डी0 एवं पूर्ण विवरण सहित संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में जारी किया गया आवंटन लेप्स नहीं होवे इसका ध्यान रखें। आवंटन लेप्स होने की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।


संलग्न :-संदर्भित पत्र एवं तदानुसार परिशिष्ट  
(संचालक द्वारा आदेशित)

  
संयुक्त संचालक(वित्त)  
पंचायत राज संचालनालय  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 11/04/2020

पृ0क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2020-21/4285  
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
2. उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय), मध्यप्रदेश, ग्वालियर को सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
6. समस्त, संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त, कलेक्टर, जिला, मध्यप्रदेश।
8. समस्त, कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
9. संयुक्त संचालक(स्थापना) पंचायत राज संचालनालय की ओर आपके क्रमांक/पं.रा./स्था./2020-21/4275-76, दिनांक 11.04.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
10. निज सहायक आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल।  
की ओर सूचनार्थ।

  
संयुक्त संचालक(वित्त)  
पंचायत राज संचालनालय  
मध्यप्रदेश

# पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फ़ैक्स नं. 0755-2552899 ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक / पं.रा / स्था. / 2020-21 / 4275

भोपाल, दिनांक 11 / 04 / 2020

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत--समस्त,

मध्यप्रदेश।

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जिला पंचायतों को योजना क्रमांक-5847(198) में प्रथम त्रैमास हेतु बजट आवंटन जारी करने बाबत।

-0-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में पंचायत राज संचालनालय के अन्तर्गत संचालित योजना क्रमांक-5847 जिला पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान मद में विभाग को उपलब्ध बजट अनुसार प्रथम त्रैमास के लिए समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों को संलग्न परिशिष्ट के कॉलम-4 अनुसार सेगमेंट-0101 में राशि रूपये 63.00 लाख, कॉलम-5 अनुसार सेगमेंट-0102 में राशि रूपये 21.00 लाख एवं कॉलम-6 अनुसार सेगमेंट-0103 में राशि रूपये 16.00 लाख इस प्रकार कॉलम-7 अनुसार कुल राशि रूपये 10000000/- (राशि रूपये-एक करोड़ मात्र) का आवंटन आपके जिले को प्रदाय किया जाता है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक(स्थापना)

पंचायत राज संचालनालय

मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक / पं.रा / स्था. / 2020-20 / 4276

भोपाल, दिनांक 11 / 04 / 2020

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. समस्त, संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त, कलेक्टर, जिला, मध्यप्रदेश।
6. समस्त, कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. संयुक्त संचालक(वित्त) पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर आदेश में उल्लेखित राशि का आवंटन संलग्न सूची अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों को जारी किये जाने हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संयुक्त संचालक(स्थापना)

पंचायत राज संचालनालय

मध्यप्रदेश

पंचायत राज संचालनालय म0प्र0भोपाल

परिशिष्ट

वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला पंचायतों को योजना

क्रमांक-5847(0101-0102-0103)-सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान मद में प्रथम त्रैमासान्त हेतु जारी बजट आवंटन

(राशि रूपये में)

क्रमांक	जिले का नाम	डी.डी.ओ.कोड	प्रथम त्रैमास हेतु जारी राशि			
			0101	0102	0103	योग
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}
1	बालाघाट	0105802002	145500	48500	37000	231000
2	बड़वानी	0205802001	118500	39500	30000	188000
3	बैतूल	0305802031	134700	44900	34000	213600
4	भिण्ड	0405802019	145600	48600	37000	231200
5	भोपाल	0505802003	202700	67000	51000	320700
6	छतरपुर	0605802014	150700	50300	38400	239400
7	छिन्दवाड़ा	0705802015	178800	59500	45000	283300
8	दमोह	0805802001	108100	36000	27500	171600
9	दतिया	0905802004	67300	22500	17200	107000
10	देवास	1005802012	133700	44600	34000	212300
11	धार	1105802008	186900	62000	47000	295900
12	डिंडोरी	1205802010	60200	20100	15400	95700
13	गुना	1305802015	106200	35400	27000	168600
14	ग्वालियर	1405802010	173800	58000	44000	275800
15	हरदा	1505802005	48800	16300	12500	77600
16	होशंगाबाद	1605802023	106100	35400	27000	168500
17	इंदौर	1705802003	280200	93400	71000	444600
18	जबलपुर	1805802019	210600	70200	53500	334300
19	झाबुआ	1905802002	87700	29300	22400	139400
20	कटनी	2005802010	110500	36900	28200	175600

प्रथम त्रैमास हेतु जारी राशि

क्रमांक	जिले का नाम	डी.डी.ओ.कोड	प्रथम त्रैमास हेतु जारी राशि			
			0101	0102	0103	योग
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}
21	खण्डवा	2105802023	112000	37400	28500	177900
22	खरगौन	2205802122	160200	53400	40700	254300
23	मंडला	2305802004	90200	30100	23000	143300
24	मंदसौर	2405802012	114600	38200	29200	182000
25	मुरैना	2505802004	168100	56100	42800	267000
26	नरसिंहपुर	2605802006	93400	31200	23800	148400
27	नीमच	2705802002	70600	23600	18000	112200
28	पन्ना	2805802010	86900	29000	22100	138000
29	रायसेन	2905802002	113900	38000	29000	180900
30	राजगढ़	3005802010	132200	44100	33600	209900
31	रतलाम	3105802015	124500	41500	31700	197700
32	रीवा	3205802019	202200	67400	51400	321000
33	सागर	3305802018	203400	67800	51700	322900
34	सतना	3405802014	190600	63600	48500	302700
35	सीहोर	3505802006	112100	37400	28500	178000
36	सिवनी	3605802021	117900	39300	30000	187200
37	शहडोल	3705802004	91200	30400	23200	144800
38	शाजापुर	3805802016	129300	43000	32500	204800
39	शिवपुरी	3905802005	147600	49200	37500	234300
40	श्यामपुर	4005802003	58800	19600	15000	93400
41	सीधी	4105802004	96300	32100	24500	152900
42	टीकमगढ़	4205802015	123500	41200	31400	196100
43	उज्जैन	4305802010	169900	56500	43000	269400
44	उमरिया	4405802006	55100	18400	14000	87500
45	विदिशा	4505802012	124700	41500	31500	197700

	जिले का नाम	डी.डी.ओ.कोड	प्रथम त्रैमास हेतु जारी राशि			
			0101	0102	0103	योग
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}
46	अनूपपुर	4605802004	64100	21400	16400	101900
47	अशोकनगर	4705802004	72200	24100	18400	114700
48	बुरहानपुर	4805802003	64800	21600	16500	102900
49	अलीराजपुर	4905802002	62300	20800	15900	99000
50	सिंगरौली	5005802001	152000	50700	38600	241300
51	आगर-मालवा	5105802003	38800	13000	10000	61800
			6300000	2100000	1600000	10000000

(राशि रूपये-एक करोड़ मात्र)

संयुक्त संचालक(स्थापना)  
पंचायत राज संचालनालय  
म.प्र.भोपाल